

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सफदरजंग अस्पताल में “जन स्वास्थ्य परिचर्या अधिकारी” के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर
सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी.
14017/61/2008-स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, सफदरजंग अस्पताल में “जन स्वास्थ्य
परिचर्या अधिकारी” पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई भी आपत्तिधारक इच्छुक टिप्पणियाँ अथवा सुझाव देने के लिए
टिप्प/भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी
(एम.एच.-II) कमरा सं 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई
दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या medicalhospital61@gmail.com पर ई कर मेल-
हैं। सकते

(गणेश कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष-011 : 23062032

(गणेश कुमार)

(GANESH KUMAR)
अवर सचिव / Under Secretary
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & Family Welfare
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

नई दिल्ली
दिनांक :

[भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख

2021

सा.का.नि. ...- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सफदरजंग अस्पताल (श्रेणी 'III' पद) भर्ती नियम, 1973 को, जहां तक उनका संबंध जन स्वास्थ्य नर्स के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में जन स्वास्थ्य परिचर्या अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, जन स्वास्थ्य परिचर्या अधिकारी (समूह 'ब' पद), भर्ती नियम, 2021 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरहता: वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	बेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अन्वयन पद	मीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जन स्वास्थ्य परिवर्तन अधिकारी	08* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, ममूह 'ब', अराजपत्रित, अननुसाचिवीय	बेतन मैट्रिक्स में स्तर-08 (46700-151100 रुपये)।	लागू नहीं होता।	35 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिखिल की जा सकती है।) टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी न की वह नियत तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, बिहुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला तथा चंबा जिला का पांगी उपखंड और लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लखड़ीप संघ राज्य भेंतों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।

मीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अमेक्षित शैक्षिक और अन्य सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अवहताएं अवहताएं प्रोन्त व्यक्तियों की दशा में लागू होनी या नहीं।	मीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अवहताएं प्रोन्त व्यक्तियों की दशा में लागू होनी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, मीधी भर्ती द्वारा या प्रो-नति द्वारा या प्रतिनियुक्त या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती जाने वाली विक्षियों की प्रतिशतता	(7)	(8)	(9)	(10)
--	--	------------------------------	---	-----	-----	-----	------

लागू नहीं होता।	दो वर्ष।		
<p>(I) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नर्सिंग में बी. एस्सी. (आंनर्स) या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बी. एस्सी नर्सिंग का नियमित पाठ्यक्रम किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नर्सिंग में पोस्ट बोसिक बी. एस्सी।</p> <p>(II) राज्य नर्सिंग परिषद में नर्स या नर्स एवं मिड्वाइफ (आरएन या आरएन एवं आरएम) के रूप में पंजीकृत।</p> <p>(III) डॉक्युमेंट शैक्षिक अर्हताएँ प्राप्त करने के पश्चात कम से कम 50 विस्तरों वाले अस्पताल में दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>(IV) जन स्वास्थ्य नर्सिंग का प्रमाण-पत्र।</p> <p>टिप्पण 1: अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, तब शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएँ अनुमूचित जातियों या अनुमूचित जनजातियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त मंड्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>	<p>मीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>टिप्पण: पदधारी के एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए प्रतिनियुक्ति पर चले जाने अथवा लंबे समय से बीमार होने अथवा अड्डयन अवकाश पर चले जाने पर अथवा अन्य परिस्थितियों में होने वाली रिक्तियों को केंद्र सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा जो-</p> <p>(क) मूल काडारविभाग में नियमित आधार पर समक्ष पद धारित किए हुए हों; और</p> <p>(ब) जो स्तंभ (7) के अधीन मीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते हों।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा अवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p>		
<p>प्रोन्ति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्ति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्ति समिति है, तो उसकी संरचना</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="226 172 405 1416"> <p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p> </td><td data-bbox="405 172 1518 1416"> <p>मीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>टिप्पण: पदधारी के एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए प्रतिनियुक्ति पर चले जाने अथवा लंबे समय से बीमार होने अथवा अड्डयन अवकाश पर चले जाने पर अथवा अन्य परिस्थितियों में होने वाली रिक्तियों को केंद्र सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा जो-</p> <p>(क) मूल काडारविभाग में नियमित आधार पर समक्ष पद धारित किए हुए हों; और</p> <p>(ब) जो स्तंभ (7) के अधीन मीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते हों।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा अवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p> </td></tr> </table>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p>	<p>मीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>टिप्पण: पदधारी के एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए प्रतिनियुक्ति पर चले जाने अथवा लंबे समय से बीमार होने अथवा अड्डयन अवकाश पर चले जाने पर अथवा अन्य परिस्थितियों में होने वाली रिक्तियों को केंद्र सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा जो-</p> <p>(क) मूल काडारविभाग में नियमित आधार पर समक्ष पद धारित किए हुए हों; और</p> <p>(ब) जो स्तंभ (7) के अधीन मीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते हों।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा अवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p>
<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p>	<p>मीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>टिप्पण: पदधारी के एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए प्रतिनियुक्ति पर चले जाने अथवा लंबे समय से बीमार होने अथवा अड्डयन अवकाश पर चले जाने पर अथवा अन्य परिस्थितियों में होने वाली रिक्तियों को केंद्र सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा जो-</p> <p>(क) मूल काडारविभाग में नियमित आधार पर समक्ष पद धारित किए हुए हों; और</p> <p>(ब) जो स्तंभ (7) के अधीन मीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखते हों।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा अवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p>		

(11)

(12)

(13)

<p>लागू नहीं होता।</p> <p>ममूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित में मिल कर बनेगी:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली यद्या; 2. मुख्य परिचर्या अधिकारी/परिचर्या अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली 3. सहायक महानिदेशक (परिचर्या), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय -सदस्य; उप निदेशक प्रशासन, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली 4. संघ लोक मेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है। 			
<p>[ए.11018/07/2020-एमएच II] (जाठेंगा कुमार)</p>			

अवर मन्त्री, भारत सरकार